

प्रपत्र 'क'  
(नियम 3 (1) देखें)

# सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई.डी.सं.  
(कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी, (सी०पी०ओ०) ३१३०३०१३०-पी०एम०(६१०)  
पावर सीड कार्पोरेशन लिमिटेड, अमरकोश पैलेस  
(विभाग/कार्यालय) कोरमना रोड पटना - 800001.

1. आवेदक का नाम : जितेंद्र कुमार सिंह
2. पूरा पता : रुपड़ पत्ता - ३१५ - ३१३ (क९३), पो. चम्पूर, अररौली-पतेपुर जिला- वैशाली,  
पत्राचार पता: मोहनगामा- परिवारोप (प्रभात कुंज) कोरमना, जिला-मुजफ्फरपुर पिन-८५२००२.
3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में) विषय:- ८०० KV वाइ कोम HVDC (६६२२१-गोपालम) का रेखण लाइन  
के मांग के लिये निश्चित करने वाले मुद्दों का कारण पत्र लिखकर भुगतान आवेदक को मुआवजा के रूप में आपके विभाग द्वारा दिया गया या इसमें इसे निम्न लिखित जानकारी उपलब्ध कराने का कृपा करें -  
1) मुआवजा का प्रति इकाई अधिकारिक दर - बी.शाम, आ.म, सेमल, वास आदि वृद्धों का,  
2) दर निर्धारित करने वाले अधिकारी/समितिको नाम तथा आवेदक को एक प्रति उपलब्ध करवें।  
3) पावर सीड कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों के नाम एवं पद नाम बताया जाये जिन्होंने आवेदक के मुआवजे को निर्धारण किया था।

दिनांक: E-1(MU2) HVDC/A-5 दिनांक 23-02-14 (No-8458)

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है। यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।
5. (1) मैंने ..... रुपये (शब्दों में) ..... से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है।  
तिथि ..... को रसीद सं. .... अथवा
- (2) मैं डिमान्ड ड्राफ्ट/भुगतानदेश सं: ६९८३७६७१९ दिनांक १३-०२-१४, जो C.P.I.D/DGM पदाधिकारी के पक्ष में ५२११५१५ बैंक द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ।  
अथवा
- (3) मैंने ..... रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (संबद्ध कर दिया) है।  
(अथवा)
- (4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है।

स्थान :  
तिथि :

आवेदक का हस्ताक्षर : जितेंद्र कुमार सिंह  
ई-मेल पता, अगर कोई हो :  
दूरभाष संख्या (कार्यालय) 9431475787  
(आवास) 8292953773  
आवेदक के पत्राचार का पूरा पता मो. परिवारोप (प्रभात कुंज) कोरमना जिला-मुजफ्फरपुर पिन-८५२००२.

नोट : गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है।  
जो लागू नहीं है उसे काट दें।

ANJ\_1379